(ग) क्या सी बी० आई० से खुफिया जांच कराने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

इंडियन ऑयल कारपोरेशन के रिकार्ड-कीपरों को वर्दी की सप्लाई न किया जाना

3179. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन ऑयल कारपोरेशन की नयी दिल्ली स्थित पाइप लाइन डिवीजन के कार्यालय में ड्राइंग रिकार्ड कीपरों को गत अनेक वर्षों से वर्दियां नहीं दी गयी हैं जबकि उन्हें धुलाई भत्ता दिया जा रहा है ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'हां' हो तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन ड्राइंग रिकार्ड कीपरों ने अपने तथा वरिष्ठ अधिकारियों का इस बारे में कोई ध्यान-वेदन दिये हैं, परन्तु उन सभी शिकायत पत्रों में अंतर्विष्ट आरोप के कारण उन्हें निचले स्तर पर ही दबाया जा रहा है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उपरोक्त भाग (ग) में उल्लिखित शिकायतों का ब्यौरा क्या है तथा कर्मचारियों के नाम और पदनाम क्या हैं ;

(ङ) क्या उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित ड्राइंग रिकार्ड कीपरों की वर्दियां देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(च) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (च) रिफाइनरी और पाइपलाइन प्रभाग की मान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ किए गए 1983 के दीर्घावधिक समझौते के अनुसार वर्ष 1984 से 1987 तक के दौरान अन्य कर्मचारियों के साथ ड्राइंग रिकार्ड कीपर को भी वर्दी दी गई थी । दिसम्बर, 1987 में अधिवर्षिता लाभ के लागू किये जाने के साथ ही वर्दीधारी कर्मचारियों की श्रेणी को छोड़कर शेष कर्मचारियों को वर्दी देने की स्कीम को वापस ले लिया गया । इसके अनुसार ड्राइंग रिकार्ड कीपर अब वर्दी के हकदार नहीं हैं ।

ड्राइंग रिकार्ड कीपर को अनजाने में कुछ महीनों तक धुलाई भत्ता दिया गया था और इसे उनसे वसूल कर लिया जाएगा ।

मान्यता प्राप्त यूनियन की मौजूदगी में अभ्यावेदनकर्ता को भी व्यक्तिगत रूप से इस स्थिति के बारे में बता दिया गया था ।

सिलंडरों की सप्लाई में विलम्ब

3180. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के, विशेष रूप से पूर्वी दिल्ली के एल० पी० जी० वितरक एक गैस सिलेंडर वाले उपभोक्ताओं को बुकिंग के कम से कम सात दिन बाद एल० पी० जी० के पुनः भरे सिलेंडर सप्लाई करते रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उन एल० पी० जी० वितरकों के नाम तथा पते क्या हैं और पिछले छः महीनों के दौरान पुनः भरे सिलिंडर बुकिंग के चौबीस घंटों के भीतर सप्लाई नहीं करते रहे हैं ; और

(ग) इस संबंध में क्या निवारक उपाय किये जाने का विचार है ?